

26/11 की घटना के 16 वर्ष

प्रलम्बिस के लयि:

[भारतीय नौसेना](#), [तटरकषक बल](#), [प्रादेशकि जल](#), [गैरकानूनी गतविधियिँ रोकथाम अधनियिम, 1967 \(UAPA\)](#), [इंटेल्जिंस बयुरो](#), [राष्ट्रीय जाँच एजेंसी \(NIA\) अधनियिम, 2008](#), [राष्ट्रीय सुरकषा गार्ड \(NSG\)](#), [वतितीय कार्रवाई कार्रय बल \(FATF\)](#) ।

मेन्स के लयि:

आतंकवाद वरिधी उपायों को मज़बूत करना ।

[स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया](#)

चर्चा में क्योँ?

26 नवंबर, 2008 को पाकसितान स्थिति आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा ने मुंबई में ताज महल पैलेस होटल, नरीमन हाउस, ओबेरॉय ट्राइडेंट और छत्रपतिशिवाजी रेलवे स्टेशन पर हमले कयि ।

- इन हमलों से भारत के सुरकषा ढाँचे में महत्त्वपूर्ण कमजोरयिँ उजागर हुई, जसिसे आतंकवाद-रोधी उपायों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है ।

26/11 हमलों से भारतीय सुरकषा की क्या कमजोरयिँ उजागर हुई?

- इंटेल्जिंस वफिलताएँ: वभिन्न सुरकषा एजेंसियिँ के बीच रयिल टाइम इंटेल्जिंस जानकारी साझा करने में वफिलता के कारण आतंकवादियिँ को हमले से पहले बेहतर रणनीति बनाने का अवसर मलिा ।
- समुद्री सुरकषा:
 - तटीय सीमाएँ असुरकषति: हमलावरों ने एक पाकसितानी ध्वज लगे मालवाहक जहाज़ पर सवार होकर एक भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाज़ को हाइजैक कर लयिा, फरि संदेह उत्पन्न कयि बिना भारतीय तटों पर उतरने के लयि [इन्फ्लेटेबल बोट/नावों का उपयोग कयिा](#) ।
 - समन्वय का अभाव: [भारतीय नौसेना](#), [तटरकषक बल](#), [समुद्री पुलसि के बीच स्पष्ट कमान और नयित्रण](#) संरचनाओं की कमी के कारण तटीय कषेत्रों की सुरकषा में अकषमता आई, जसिसे वे शोषण के प्रतिसंवेदनशील हो गए ।
- डिजिटल कमजोरयिँ: डिजिटल प्रचार और ऑनलाइन कट्टरपंथ का मुकाबला करने में भारत की असमर्थता के कारण स्थानीय स्तर पर सैन्य सहायता के माध्यम से समर्थन प्राप्त हुआ ।
- वशिष प्रशकिषण का अभाव: भारत के सुरकषा बलों को नए प्रकार के शहरी आतंकवादी हमले से नपिटने के लयि पर्याप्त रूप से प्रशकिषति नहीं कयिा गया था, जैसा कि 26/11 की घटनाओं में एक साथ कई स्थलों को नशाना बनाया गया था ।
- धीमी प्रतकिरयिा: सुरकषा बलों की ओर से वलिंबति प्रतकिरयिा, त्वरति तैनाती और सामरकि समन्वय की कमी के कारण आतंकवादियिँ को कई घंटों तक टकिे रहने का मौका मलि गया ।
- अपर्याप्त साइबर सुरकषा उपाय: 26/11 के हमलावरों ने पाकसितान में अपने प्रमुखों के साथ लगातार संपर्क में रहने के लयि सैटेलाइट फोन सहति उन्नत संचार उपकरणों का इस्तेमाल कयिा ।

26/11 हमलों के बाद सुरकषा को मज़बूत करने के लयि क्या कदम उठाए गए?

- समुद्री सुरकषा में सुधार: भारतीय तटरकषक बल को प्रादेशकि जल पर कमान सौंपी गई तथा तट के साथ नए समुद्री पुलसि स्टेशनों के साथ संपर्क स्थापति करने का दायतिव सौंपा गया, जबकि समुद्री सुरकषा की अंतमि ज़मिमेदारी भारतीय नौसेना को दी गई ।
- भारतीय नौसेना ने तटीय गश्त और त्वरति प्रतकिरयिा कषमताओं को बढ़ाने के लयि [सागर प्रहरी बल](#) की स्थापना की ।
 - समन्वय में सुधार के लयि [तटरकषक](#), [राज्य](#) और [केंद्र सरकार की एजेंसियिँ](#) के सहयोग से सभी राज्यों में नयिमति तटीय सुरकषा अभ्यास आयोजति कयि जाते हैं ।
 - 20 मीटर से अधिक लंबे सभी जहाज़ों में पहचान और अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रेषति करने के लयि स्वचालति पहचान प्रणाली

(AIS) स्थापति की गई।

- **खुफिया समन्वय:** केंद्रीय एजेंसियों, सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस के बीच **खुफिया जानकारी साझा करने के समन्वय को बेहतर बनाने के लिये खुफिया ब्यूरो के बहु-एजेंसी केंद्र (MAC)** को मज़बूत किया गया।
 - MAC के चार्टर का **वसतिार करके** इसमें नए क्षेत्रों को शामिल किया गया, जैसे कट्टरपंथ और आतंकवादी नेटवर्क का अधिक प्रभावी ढंग से **वशिलेण करना और उनसे नपिटना**।
- **संस्थागत उपाय:**
 - **राष्ट्रीय आतंकवाद नरीधी केंद्र (NCTC) की स्थापना** राज्यों में आतंकवाद वरीधी संगठनों सहति अन्य हतिधारकों के साथ आतंकवाद वरीधी कार्रवाई के लिये योजनाएँ तैयार करने एवं समन्वय स्थापति करने के लिये की गई थी।
 - **अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं ससि्टम (CCTNS)** की शुरुआत जाँच, डेटा वशिलेण, अनुसंधान और नीति निर्माण के उद्देश्य से सभी पुलिस सटेशनों को एक सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तहत जोडने के लिये की गई थी।
- **नेशनल इंटेलेजिंस ग्रिड (NATGRID)** एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म है जो देश में अपराध एवं आतंकवादी खतरों से नपिटने के लिये क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड, कर, दूरसंचार, आवरण, एयरलाइंस और रेलवे टिकट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वभिन्न डेटाबेस से एकत्रित आँकड़ों तक पहुँचने में मदद करता है।
- **कानूनी सुधार:** आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ अधिक सक्रिय कदम उठाने के लिये **आतंकवाद** की परिभाषा को व्यापक बनाने हेतु गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम, 1967 (UPA) में संशोधन किया गया।
 - **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम, 2008** को एक संघीय अन्वेषण एजेंसी बनाने के लिये पारति किया गया था, जसि राज्यों में आतंकवाद के मामलों को संभालने का अधिकार दिया गया था।
- **पुलिस बलों का आधुनिकीकरण:** गृह मंत्रालय ने **पुलिस थानों को उन्नत करने, उन्हें आधुनिक तकनीक से लैस करने**, आतंकवाद जैसी आधुनिक चुनौतियों के लिये **अधिकारियों को प्रशिक्षित करने** और बेहतर हथियार उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकारों को अधिक धनराशि आवंटित की।
 - सभी पुलिस बलों में **कुशल कमांडो** टीमों के गठन पर ज़ोर दिया गया।
 - **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)** ने त्वरति तैनाती के लिये देश भर में **चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई** में चार क्षेत्रीय केंद्र स्थापति किये।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** 26/11 के हमलों का सबसे बड़ा प्रभाव **पश्चिमी देशों, वशिषकर अमेरिका**, की सुरक्षा के मामलों में भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा थी।
 - अमेरिका ने हमलों के दौरान **वास्तविक समय पर सूचना** उपलब्ध कराई तथा FBI के माध्यम से **अभियोजन योग्य साक्ष्य** जुटाने में मदद की, जसिसे **पाकिस्तान को वशिव सतर पर अलग-थलग** करने में मदद मिली।
 - **वर्ष 2018 में**, वैश्विक दबाव के कारण **पाकिस्तान को FATE** की ग्रे सूची में डाल दिया गया, जसिसे **लश्कर-ए-तैयबा (LeT)** और **जैश-ए-मुहम्मद (JeM)** जैसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्यवाही करने पर मज़बूर होना पड़ा।
- **जागरूकता अभियान:** इन अभियानों का उद्देश्य **स्थानीय लोगों को समुद्री खतरों से उत्पन्न जोखिमों के बारे में संवेदनशील बनाना** और उन्हें **संदिग्ध गतिविधियों** की सूचना देने के लिये प्रोत्साहित करना है।

भारतीय तटीय सुरक्षा में लगातार कमियाँ क्या हैं?

- **नगिरानी की चुनौती:** भारत की **7517 कमी लंबी तटरेखा**, जसिमें मुख्य भूमि (5423 कमी) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (2094 कमी) शामिल हैं।
 - वशिाल तटरेखा, जसिमें हज़ारों मछली पकड़ने वाली नावें और जलपोत हैं, **संभावति खतरों की नगिरानी और गश्त करना चुनौतीपूर्ण** बना देती है।
- **व्यापक कवरेज का अभाव:** 20 मीटर से अधिक लंबाई वाली नौकाओं के लिये **स्वचालति पहचान प्रणाली (AIS)** स्थापति करने का प्राधान्य समुद्री नगिरानी के दायरे को सीमित करता है, खासकर तब जब कई **छोटी नौकाओं (20 मीटर से कम)** का इस्तेमाल **तस्करी या घुसपैठ** जैसी अवैध गतिविधियों के लिये किया जा सकता है।
- **वविधि खतरा परदृश्य:** खतरों की वविधि प्रकृति (आतंकवादी हमले, तस्करी और अवैध प्रवासन) सुरक्षा चुनौतियों की जटलिता को उजागर करती है।
 - प्रवासी, वशिषकर **बांग्लादेश और श्रीलंका** से आने वाले, **अनजाने में या जानबूझकर** सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं।
- **स्थानीय समुदायों पर अत्यधिक नरिभरता:** मछुआरे **तटीय सुरक्षा** के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन खुफिया जानकारी के लिये केवल उन पर नरिभर रहना जोखिम भरा है, क्योंकि भय, जागरूकता की कमी या अवशिवास के कारण संभावति असहयोग की आशंका है।
- **नमिन बुनियादी ढाँचा:** राज्य पुलिस बल अभी भी **अपर्याप्त रूप से सुसज्जति और कम प्रशिक्षति** हैं तथा नरितर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण समग्र समन्वय में बाधा उत्पन्न हो रही है।

आगे की राह

- **नवारण और आक्रामक रणनीतियाँ:** सरजकिल स्ट्राइक और हवाई हमलों सहति सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की हालिया प्रतिक्रियाओं को भारत की दीर्घकालिक **आतंकवाद-रोधी नीति** के भाग के रूप में संस्थागत रूप दिया जाना चाहति। जसिका उद्देश्य नरिणायक रूप से प्रतिक्रिया करने के देश के संकल्प को प्रदर्शति करके आतंकवाद को रोकना हो।
- **बहु-एजेंसी प्रशिक्षण एवं अभ्यास:** **बहु-एजेंसी अभ्यास** के NSG मॉडल (जहाँ वभिन्न सुरक्षा बल एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं) को देश भर में बढ़ावा देना चाहति।
 - इन अभ्यासों में **स्थानीय कानून प्रवर्तन, अर्द्धसैनिक बल एवं खुफिया एजेंसियों को शामिल किया जाना चाहति** ताकियह सुनिश्चित किया जा सके कि हमलों के दौरान सभी पक्ष समन्वति कार्रवाई के लिये अच्छी तरह से तैयार रहें।
- **वशिष बलों के साथ समन्वय:** **स्थानीय पुलिस को** कसिी हमले की स्थिति में सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने हेतु **NSG** जैसी राष्ट्रीय आतंकवाद-

रोधी इकाइयों के साथ घनषिठ कार्य संबंध बनाए रखना चाहिये।

- **नरिणयकरत्ताओं को सशक्त बनाना:** वभिनिन स्तरों पर नरिणयकरत्ताओं (स्थानीय पुलसि से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों तक) को आपात स्थितियों के दौरान शीघ्रता एवं नरिणायक रूप से कार्य करने हेतु सशक्त बनाया जाना चाहिये।
- **शहरी आपदा प्रबंधन योजनाएँ:** शहरों में ऐसी आपदा प्रबंधन योजनाएँ होनी चाहिये जनिसे न केवल प्राकृतिक आपदाओं पर बल्कि आतंकवादी हमलों जैसे मानव नरिमति खतरों पर भी ध्यान केंद्रति कयिा जा सके।
- **साइबर सुरक्षा वशिषज्जता को बढ़ावा देना:** साइबर सुरक्षा में बहु-वशिषयक प्रशकिषण को एकीकृत कयिा जाना चाहिये।
- **'जागरूक समूहों' का गठन:** युवाओं एवं नागरिकों से गठति समुदाय-आधारति 'जागरूक समूहों' द्वारा संदग्धि गतविधियों की सूचना देकर तथा वास्तविक समय की खुफयिा जानकारी प्रदान करके लोगों एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच के अंतराल को कम कयिा जा सकता है।

????? ???? ?????:

प्रश्न: 26/11 के हमलों के बाद आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के क्रम में भारत की सुरक्षा प्रणाली में क्या सुधार कयिे गए हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

?????:

प्रश्न. आतंकवाद की महावपितति राष्ट्रीय सुरक्षा के लयिे एक गम्भीर चुनौती है। इस बढ़ते हुए संकट का नयित्रण करने के लयिे आप क्या-क्या हल सुझाते हैं? आतंकी नधीयन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? (2017)

प्रश्न. डजिटिल मीडयिा के माध्यम से धार्मिक मतारोपण का परणाम भारतीय युवकों का आई.एस.आई.एस. में शामिल हो जाना रहा है। आई.एस.आई.एस. क्या है और उसका ध्येय (लक्ष्य) क्या है? आई.एस.आई.एस. हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लयिे कसि प्रकार खतरनाक हो सकता है? (2015)

प्रश्न. कुछ रक्षा वशिषेक इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम द्वारा युद्ध को अलकायदा और आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं। आप 'इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम युद्ध' (Cyber Warfare) से क्या समझते हैं? भारत ऐसे जनि खतरों के प्रतिसंवेदनशील है उनकी रूपरेखा खींचयिे और देश की उनसे नपिटने की तैयारी को भी सपष्ट कीजयिे। (2013)